न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/48/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/114

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बानसूर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 22.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.03.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 06.12.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर, बानसूर के ए.सी.ई.एम. पद पर पदभार ग्रहण, उनके कार्यालय के मूवमेन्ट रजिस्टर एवं अन्यादि कुल 06 विन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 06.12.2021, लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पत्रांकः 2188 दिनांकः 10.12.21 के माध्यम से सहायक कलक्टर, बानसूर को अन्तरित किया गया है।
5. प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जिला कलक्टर महोदय, अलवर को प्रथम अपील (दिनांकः 07.01.22) प्रस्तुत की गई जो कि पत्रांकः 525–26 दिनांकः 18.02.22 के माध्यम से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलव किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. स्था./2022/70 दिनांकः 07.03.2022 मय संलग्नक, के माध्यम जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बिन्दुवार प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः RTI/2022/34 दिनांकः 18-01-22 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है, साथ ही लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्रेषित सूचना पुनः पंजीकृत–पत्र के जरिये प्रेषित की जावे व भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति ना हो, सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 14.03.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)